

9/7/24 पत्रावली कापलिय से तलब डोकर पैश। वकील
बाती द्वारा प्रस्तुत प्राण पत्र आईस 23 निपक
। CPC बाद सुनवाई स्वीकार डोने से मूल
बाद की शर्तारिज किया जा चुका है।
ऐसी स्थिति में प्राणपत्र की चर्चा का
कोई औचित्य नहीं है। अतः प्राणपत्र

पर कापिंग की रीति स्तर पर ड्रॉप दिया
जाता है। पत्रावली केवल शुमार क्रम
नम्बर से कम की बाद तकमील दारिवल
स्फार है।

निर्णय आज शुले न्यापालय में सुनाया
गया।

उपखण्डाधिकारी
धरमपुरा (धौलपुर) रा.